

परिपत्र सं. आर-6/2012-13

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडकों का निर्माण डिजाईन के अनुसार किया जाता है। तकमीने कस्ट डिजाईन) में किये गये यातायात आंकलन की तुलना में यातायात का दबाव विशेष कारणों से बढ़ाने की स्थिति में कस्ट थिकनेस बढे यातायात के अनुरूप न होने के कारण सडक क्षतिग्रस्त हो जाती अतः इस संबंध में निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं:-

अत्याधिक यातायात भार के कारण क्षतिग्रस्त हो गई सडक पर 7 दिवस की यातायात गणना सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा करवाई जावेगी, तथा कुछ वाहनों का एकसल लोड सर्वे कराया जावेगा साथ ही सडक की स्थिति एवं वाहनों के आवागमन को दर्शाते हुये विडियोग्राफी भी कराई जावेगी। सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता क्षतिग्रस्त सडक के बारे में अपनी टिप्पणी के साथ यातायात एम.एस.ए. (Million Standard Axle) में जिसके लिये सडक डिजाईन की गई है एवं कार्य पूर्ण होने से सडक क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के उपरान्त किये गये यातायात गणना, एम.एस.ए. (Million Standard Axle) के आकडे प्रस्तुत करेगें

उक्त सूचना अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत की जावेगी। जिस पर निर्णय निम्न अधिकारियों की कमेटी द्वारा लिया जावेगा:

- | | |
|--|------------|
| (i) मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव | अध्यक्ष |
| (ii) मुख्य अभियन्ता सम्बन्धित | सदस्य |
| (iii) वित्तीय सलाहकार | सदस्य |
| (iv) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सम्बन्धित) | सदस्य |
| (v) अधीक्षण अभियन्ता (सम्बन्धित) | सदस्य सचिव |

TS
 कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
 सा.नि.वि. वृत्त-अजमेर
 पत्र प्रा. क्र. 2788 दिनांक 18/7/12
 को.प्र./सं.सं./नं.डी/डी.सचिव

यदि उपरोक्त कमेटी द्वारा निर्णय किया जाता है कि सडक जितने समय के लिए डिजाईन की गई थी उस अवधि का यातायात संवेदक की गारन्टी अवधि के अन्दर ही चल चुका है तो उसके आगे डी.एल.पी. के शेष रहे समय के अन्तर्गत सडक की मरम्मत करने हेतु संवेदक को बाध्य नहीं किया जावेगा। प्रगतिरत कार्या का भी उपरोक्तानुसार रिव्यू किया जा सकेगा। समिति के निर्णय की अनुपालना में टेण्डर अपूर्विक ओथोरेटी द्वारा डी.एल.पी. हेतु आवश्यक आदेश जारी किये जावेगें। उपरोक्त कमेटी की भीटिंग माह में एक बार होगी।

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें।

मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव 13/7/12

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

- विशिष्ट सहायक, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता/पथ/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस., सा.नि.वि., जयपुर।
- प्रवक्ता निदेशक, राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम लि., जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. सम्भाग.....(समस्त)
- अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त.....(समस्त)
- अधिसायी अभियन्ता, सा.नि.वि., एण्ड.....(समस्त)

NoACE/AJ/TECH/ Date
 F2(39)/D-3252-5517/12
 Copy to SE, PWD, CIRCLE
 Jones/Bhilarana/Nagpur/Tank
 for inf & immediate action &
 submit compliance
 TAAACE
 PWD, Zone Ajmer

प्रतिपत्र:-

दिनांक:-